भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 746
26.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय संस्थाओं हेतु सीएफएस

746. श्री हिबी इडनः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा गत परियोजनाओं के लिए भारतीय संस्थाओं द्वारा बोली लगाने के लिए 2018 से 2023 तक अगले पाँच वर्षों के लिए रियायती वित्तपोषण प्रणाली (सीएफएस) के पहले विस्तार को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को भी उदार बनाया गया है, जिससे किसी भी भारतीय कंपनी को इसके लाभ के लिए पात्रता की परवाह किए बिना अनुमति दी जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
(विदेश राज्य मंत्री)
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) जी, हां।

(ख) विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढ़ांचागत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थानों को सहायता प्रदान करने हेतु रियायती वित्तपोषण प्रणाली (सीएफएस) को 2018 से 2023 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिनांक 10 अगस्त 2018 के संशोधित दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध

<u>विषय – विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं की सहायता हेतु रियायती वित्तपोषण प्रणाली (सी एफ एस) संबंधी दिशानिर्देश।</u>

विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं की सहायता के लिए रियायती वित्तपोषण प्रणाली (सी एफ एस) के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 16-09-2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16(6)/2015- एम आर III द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सी एफ एस पर दिशानिर्देशों के एक नए सेट को अंतिम रूप दिया गया है और इन्हें निम्नानुसार जारी किया जा रहा है:-

(i) इस योजना में किसी विदेशी सरकार या विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली या उनके नियंत्रण वाली संस्था को रियायती वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार (जिसे इसके बाद भारत सरकार कहा गया है) द्वारा एक्जिम बैंक को प्रति-गारंटी और 2 % ब्याज समानीकरण उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; बशर्ते कोई भारतीय संस्था ऐसी विदेशी संस्था की किसी परियोजना के निष्पादन के लिए संविदा प्राप्त करने में सफल रहती है और परियोजना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया हो। भारतीय संस्था को भारत के कानूनों के प्रावधानों के अनुसार गठित, निगमित, पंजीकृत और संचालित होना चाहिए, जैसा कि इसके निगमन और इसके पंजीकरण दस्तावेजों के लेखों से स्पष्ट हो। ऐसी भारतीय इकाइयाँ (माल और सेवाओं की आपूर्ति सहित) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/ संविदाकार के रूप में कार्य कर सकती हैं।

(ii) इस योजना के तहत वित्तपोषण के लिए किसी परियोजना के रणनीतिक महत्व का निर्णय, मामला दर मामला आधार पर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता वाली एक समिति (जिसका इसके बाद अधिकार प्राप्त समिति के रूप में उल्लेख किया गया है) द्वारा किया जाएगा, इस समिति में व्यय विभाग, विदेश मंत्रालय , औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग, वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और गृह मंत्रालय से सदस्य होंगे। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस समिति के एक सदस्य होंगे।

(iii) आर्थिक कार्य विभाग को ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय विदेश मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि जिन संस्थाओं का स्वामित्व या नियंत्रण भारतीय हितों के प्रतिकूल माने जाने वाले देशों के नागरिकों के पास है, उन्हें छोड़ दिया गया है।इस तरह के प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय, विदेश मंत्रालय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में पूरी जानकारी रखेगा ताकि भारतीय हितों के लिए प्रतिकूल मानी जाने वाली किसी भी इकाई द्वारा सीएफएस के तहत लाभ पाने की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। विदेश मंत्रालय भारतीय ऋण [जैसे कि भारत सरकार द्वारा समर्थित ऋण श्रृंखलाओं के तहत दिए गए ऋण आदि] को चुकाने में विदेशी सरकार के रिकॉर्ड के बारे में अधिकार प्राप्त समिति को सूचित करेगा ।

(iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित इकाई वह है जिसकी शेयरधारिता का कम से कम 50% विदेशी सरकार के स्वामित्व में हो। हालाँकि, अधिकार प्राप्त समिति, मामला दर मामला आधार पर, न्यूनतम 50% विदेशी सरकार स्वामित्व / नियंत्रण मानदंड को शिथिल कर सकती है और निम्नानुसार अनुमति दे सकती है: -

(क) कोई भी संस्था जिसमें विदेशी सरकार की 24% से कम शेयरधारिता नहीं है और वह परियोजना के लिए विशेष रियायत प्रदान कर रही है; या

(ख) पीपीपी मॉडल पर आधारित कोई भी इकाई।

(v) एक्जिम बैंक लिबोर (छह महीने का औसत) + 100 बीपीएस की अधिकतम दर से ऋण प्रदान करेगा। यद्यपि , अधिकार प्राप्त समिति अधिक रणनीतिक हित की समझी जाने वाली परियोजनाओं के मामले में अमेरिकी डॉलर सामान्य मुद्रा होगी तथापि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किसी भी स्वीकार्य स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या यहां तक कि भारतीय रुपये में भी वित्तपोषण की अनुमति दे सकती है। चूंकि अमेरिकी डॉलर के विपरीत, उक्त मुद्रा और मूल्य निर्धारण को पहले से नहीं जाना जा सकता है, एक्जिम बैंक को ब्याज समानीकरण समर्थन की लागू दर अपरिवर्तित रहेगी, जब तक कि इस तरह का वित्तपोषण एक्जिम बैंक की वाणिज्यिक शर्तों पर पेश नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार का समर्थन केवल एक्जिम बैंक को गारंटी / काउंटर गारंटी की सीमा तक सीमित रहेगा।

(vi) यदि लेनदार विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली या उनके द्वारा नियंत्रित इकाई है तो ऋण की अदायगी की गारंटी विदेशी सरकार द्वारा दी जाएगी। लेनदार विदेशी सरकार होने की स्थिति में भारत सरकार गारंटी प्रदान करेगी और विदेशी सरकार के स्वामित्व वाली या उनके द्वारा नियंत्रित इकाई के लेनदार होने की स्थिति में भारत सरकार काउंटर गारंटी प्रदान करेगी।

(vii) अधिकार प्राप्त समिति, परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का कम से कम 75% (मूल्य के आधार पर) भारत से प्राप्त करने पर जोर दे सकती है, अगर वह बोलियों के अनुरोध के अनुकूल है। हालांकि, अधिकार प्राप्त समिति भारत में अनुपलब्ध महत्वपूर्ण सिविल कार्य या अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, मामला दर मामला आधार पर भारतीय सामग्री की आवश्यकता को और 25% (मूल्य के अनुसार) (सामग्री और मशीनरी के अलावा) तक शिथिल कर सकती है।

(viii) अधिकार प्राप्त समिति लेनदार के देश में संस्थाओं को प्रदान की गई संबंधित संविदाओं का इस शर्त पर समर्थन करने पर विचार कर सकती है कि लेनदार देश के ठेकेदारों का स्वामित्व व नियंत्रण लेनदार देश के निवासी नागरिकों के पास हो और उन्हें उनकी संविदा के मूल्य का कम से कम 75% तक माल का उत्पादन / सेवाएं प्रदान करना चाहिए।

(ix) यद्यपि प्रतिस्पर्धी बोली एक अधिमानता प्राप्त पद्धति होगी, भारत सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले सरकारी संस्थाओं या सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में, अधिकार प्राप्त समिति गुणावगुण के आधार पर वार्ता-सम्मत अनुबंध या नामांकन पर विचार कर सकती है।

(x) इन शर्तों के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

(xi) अधिकार प्राप्त समिति समान शर्तों पर एक्जिम बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रणनीतिक परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी विचार करेगी।

(xii) योजना के कार्यान्वयन के अनुभव का मूल्यांकन पांच साल के बाद किया जाएगा और उपयोगी पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से योजना को उपयुक्त समझे गए संशोधनों के अध्यधीन जारी रखा जाएगा।

स्रोत: द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 10अगस्त 2018 को जारी किया गया का. ज्ञा. सं. 5 / 58/2017-आईडियास